

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

रा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष- बुधनी उरॉव बगैरह..... ।

बनाम

वाद सं0 50 / 2021

द्वितीय पक्ष- सेना उरॉव बगैरह। .

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 23/11/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 14 / 2021 दिनांक 25 / 06 / 2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) बुधनी उरॉव उम्र 45 वर्ष पति स्व० चमरा उरॉव (2) मंगरी उरॉव उम्र 47 वर्ष पति स्व० मांगु उरॉव (3) काचा उरॉव उम्र 26 वर्ष पिता स्व० चमरा उरॉव (4) छटु लकड़ा उम्र 21 वर्ष पिता स्व० मांगु उरॉव सभी सा० सोलंगबीरा बरटोली थाना बसिया जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) सेना उरॉव उम्र 55 वर्ष पिता स्व० सुकरा उरॉव (2) शशि लकड़ा उम्र 36 वर्ष (3) संजय लकड़ा उम्र 33 वर्ष (4) राम लकड़ा उम्र 30 वर्ष (5) लच्छु लकड़ा उम्र 30 वर्ष चारो पिता सेना उरॉव (6) मुड़ला उरॉव उम्र 57 वर्ष पिता स्व० डोमरा उरॉव (7) सोहराय उरॉव उम्र 45 वर्ष (8) कार्तिक उरॉव उम्र 40 वर्ष (9) काठा उरॉव उम्र 38 वर्ष (10) बोलो उरॉव चारो पिता मुड़ला उरॉव सभी सा० सायटोली थाना बसिया जिला गुमला के बीच भूमि मौजा सोलंगबीरा के खाता सं० 55 प्लॉट सं० 669, 699, 1026, 1027 कुल रकबा 2.23 एकड़ भूमि को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उभय पक्षों के बीच उक्त वादगत की कार्यवाही अवधि में शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने एवं उक्त वाद की समय अवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।	



अनुमण्डल दण्डाधिकारी
बसिया(गुमला)।